



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2306

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44503 वर्ष 2025

राहुल यादव

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : देवोत्तम पाण्डेय

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अमरीश तिवारी, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आज दाखिल पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
3. श्री देवोत्तम पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, श्री अमरीश तिवारी, विद्वान अधिवक्ता मुखबिर की ओर से, श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
4. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 382 वर्ष 2025, धाराओं 103(1), 191(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना बैरिया, जिला बलिया के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
5. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक चार अन्य नामजद अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर दिनांक 13.10.2025 को लगभग रात्रि 8:00 बजे मृतक पर ईंटों, पत्थरों एवं अन्य हथियारों से प्रहार करने का कथित आरोपी है, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को बलिया जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ वह रास्ते में ही चोटों के कारण दम तोड़ गया।



6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी लगभग पंद्रह घंटे विलंब से दर्ज हुई है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य एवं व्यापक आरोप लगाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को कोई सुनिश्चित भूमिका नहीं सौंपी गई है, यद्यपि मृतक को पंद्रह चोटें आई थीं, किंतु किसी भी अभियुक्त को कोई भी चोट कारित करने का आरोपी नहीं बताया गया है।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 15.10.2025 से जेल में बंद है और विचारण में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का खंडन नहीं किया जा सका।
9. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, प्राथमिकी दर्ज कराने में विलंब तथा सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य एवं व्यापक आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **राहुल यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

Translated Version. Not for Legal Use.